

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद सीकर

क्रमांक :- 5173-74

दिनांक :- 19.12.2019

बोली सं० 3/2019-20

(Shivji Ram Kataria)
Deputy Dir. Agriculture
Sikar
Code - 6269

इस कार्यालय द्वारा जिला स्तर व ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शनी एवं जैविक मेलों/प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु निम्नलिखित कार्यों के लिए इच्छुकफार्मों/बोलीदाताओं से निर्धारित प्रपत्र में सीलबंद बोली आमंत्रित की जाती हैं। बोली दिनांक 31.12.2019 को अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त की जाकर उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष गठित कमेटी द्वारा खोली जावेगी। बोली प्रपत्र एवं शर्तें दिनांक 31.12.2019 को दोपहर 12.00 बजे तक बोली शुल्क जमा करवाकर प्राप्त की जा सकती हैं। बोली से संबंधित जानकारी कार्यालय समय में इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं।

क्र. स.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा शुल्क	अमानत राशि	अवधी
1	2	3	4	5	6
1.	भोजन व जलपान (नाश्ता, चाय व मिठाई)	800000	200	16000	2019-20

अमानत राशि का बैंकर चैक/डीडी उपनिदेशक कृषि (वि०) जि० प० सीकर के नाम से देय होगा। सीलबंद बोली लिफाफों पर कार्य का विवरण लिखना होगा। बोली प्रपत्र एवं बोली की शर्तें <http://sppp.raj.gov.in> व कृषि विभागीय वेबसाइट <http://krishi.raj.gov.in> पर भी देखी अथवा डाउनलोड की जा सकती हैं। डाउनलोड किये गये बोली प्रपत्र के साथ बोली शुल्क रु. 200/- का डीडी /बैंकर्स चैक संलग्न करना होगा।

(शिवजीराम कटारिया)
उपनिदेशककृषि (वि०)
जि०प०सीकर

क्रमांक :- 5173-74

दिनांक :- 19.12.2019

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् संयुक्त निदेशककृषि (विस्तार) कृषि खण्ड, सीकर, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् सम्पादक महोदय दैनिक उद्योग आस-पास सीकर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त बोली सूचना आज ही प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में डीपीआईआर की दर से भिजवावें।
3. श्रीमान् सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर विभागीय वेबसाईट पर उक्त बोली अपलोड कराने हेतु।
4. सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर कार्यालय हाजा / Sppp.Raj.nic.in पर अपलोड हेतु।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

(शिवजीराम कटारिया)
उपनिदेशककृषि (वि०)
जि०प०सीकर

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार) सीकर
बोली प्रारूप

(Shivji Ram Kataria)
Deputy Dir. Agriculture
Sikar
Code - 0269

1	कार्यालय का नाम	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
2	बोली सूचना सं०	03/2019-20 क्रमांक.....दिनांक.....
3	बोली प्राधिकारी	उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर
4	बोली विक्रय की दिनांक व समय	31.12.2019 दोपहर 12.00 बजे तक
5	बोली प्राप्त करने की दिनांक व समय	31.12.2019 दोपहर 1.00 बजे तक
6	बोली खोलने की दिनांक व समय	31.12.2019 सायं 3.00 बजे से
7	बोलीदाता का विवरण	बोली दाता/प्राधिकृत व्यक्ति व फर्म का नाम पता दूरभाष नं०..... मो०.....
8	कार्य का विवरण- आवश्यकता होने पर विस्तार अधिकारी/कार्मिक/कृषक प्रशिक्षणों/मेलो/कार्यशालाओं/सेमिनारों में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय की आपूर्ति	आवश्यकता होने पर विस्तार अधिकारी/कार्मिक/कृषक प्रशिक्षणों/मेलो/कार्यशालाओं/सेमिनारों में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय की आपूर्ति
9	बोली शुल्क	डीडी नं.....दिनांक..... रसीद सं.....दिनांक.....
10		डीडी नं.....दिनांक.....

मैने/हमने उपनिदेशक कृषि (विस्तार) सीकर द्वारा गठित उपापन समिति द्वारा जारी की गई सीमित बोली की समस्त शर्तों को अच्छी तरह से समझ ली है, तथा मुझे/हमें बोली की समस्त शर्तें मंजूर है व उनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों का मेरे/हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण मे मैने/हमने हस्ताक्षर कर दिये है। मै./हमघोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैने/हमने जिस कार्य के लिए बोली दी है, उसका मैं बोनाफाइड स्वामी/पंजिकृत फर्म का मालिक हूँ।यदि यह घोषणा असत्य पायी जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति/धरोहर राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जावेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

विस्तार अधिकारियों/कार्मिकों/कृषक प्रशिक्षणों/मेलों/सेमिनार में प्रतिभागियों को भोजन, नाश्ता व चाय, आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दरें :-

क्र. सं.	भोजन डाइट व चाय नाश्ता	मिन्तू विवरण	प्रस्तावित दरें प्रति डाइट
1.	स्पेशल	- चपाती (चुपड़ी) पेटभर, पनीर की सब्जी, एक सुखी सब्जी व दाल/दालफ्राई, चावल पूलाव, रायता/दही, सलाद व मिठाई पीस दो (100 ग्राम) तथा नमकीन	
2.	साधारण	- चपाती (चुपड़ी) पेटभर, सीजनल सब्जी एक व दाल, चावल, सलाद, दही व मिठाई पीस दो (100 ग्राम)	
3.	पैकेट	- भोजन (8पूड़ी, एक सुखी सब्जी 150 ग्राम प्लास्टिक कटोरी में पैक, आचार, मिठाई पीस दो (100 ग्राम) मय भोजन पैकेट मे पैक)	
4.	नाश्ता प्रति प्लेट मय चाय	एक कचौरी/समोसा/ब्रेड पकौडा तथा जलेबी (100ग्राम) अथवा मिठाई पीस (100ग्राम) एवं चाय	
5.	चाय	चाय (150 मि.ली)	
6.	आईसक्रीम	एक कप (लगभग 100ग्राम)	

दिनांक :

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मालिक/प्रतिनिधि का नाम

पता

फोन/मो0 नं.

कार्यालय उप निदेशक कृषि(विस्तार) सीकर

विस्तार कार्मिको/कृषक प्रशिक्षण/मेलों में प्रतिभागियों को भोजन,नाश्ता व चाय, आपूर्ति हेतु सीमित बोली 03/2019-20 की शर्त :-
नोट :- बोलीदाता को बोली फार्म भरने से पूर्व निम्न शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के पश्चात ही बोली शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए तथा बोली के साथ संलग्न करें।

1. इच्छुक बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपनी दरें उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में जिस पर भोजन एवं चाय-नाश्ता आपूर्ति लिखकर प्रस्तुत की जावें। खुली बोली पाये जाने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. बोली फार्म पेन/बॉल पेन से अथवा टंकण से भरा ही प्रस्तुत किया जावें। पेन्सिल से भरा हुआ बोली फार्म स्वीकृत नहीं किया जावेगा। बोली के प्रत्येक पेज पर शर्तों एवं समझोतो पर सहमति स्वरूप बोलीदाता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
3. बोलीदाता को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में साफ-साफ लिखा जाना चाहिए। इनमें कोई त्रुटियां/अपरिलेखन नहीं होना चाहिए/अशुद्धियां होने पर लघु हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
4. बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
5. बोली भोजन व्यवस्था के अधिकृत एवं अनुभवी फर्मों व व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जावें।
6. बोलीदाता का वाणिज्य कर विभाग में पंजियन होना आवश्यक है तथा पंजियन प्रमाण पत्र व पैनकार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।
7. प्रतिभागियों को उपलब्ध कराये जाने वाले खाने(बिना पैकेट) एवं नाश्ते का मीनू निम्न प्रकार होगा:-
I-नाश्ता-कचौरी/समोसा/ब्रेड पकौड़ा,एक मिठाई पीस (100ग्राम) अथवा जलेबी 100ग्राम एवं चाय (150 मि0ली0)।
II-खाना(साधारण)-देशी घी से चुपड़ी चपाती पेटभर, सीजनल सब्जी एक,दही, दो पीस मिठाई(100ग्राम) व दाल,चावल तथा सलाद।
III-खाना(स्पेशल)-देशी घी से चुपड़ी चपाती पेटभर, पनीर की सब्जी,सीजनल सुखी सब्जी एक,रायता/दही, दो पीस मिठाई(100ग्राम) व दाल/दालफ्राई,चावलपूलाव,नमकीन तथा सलाद।
8. खाने की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा जिले के भीतर कही भी आयोजित प्रशिक्षण/मेले/कार्यशाला वाले स्थान पर तथा प्रशिक्षण प्रभारी के निर्देशानुसार समय पर आपूर्ति करनी होगी।
9. खाना शुद्ध एवं ताजा होना आवश्यक हैं।
10. खाना पकाने एवं खिलाने हेतु समस्त प्रकार के बर्तन एवं सामग्री तथा खाना खिलाने की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं को अपने स्तर पर करनी होगी।
11. बोलीदाता से कुल भुगतान योग्य राशि में से नियमानुसार आयकर व अन्य आवश्यक करों की कटौती की जावेगी।
12. दरें वर्ष 31.03.2020 तक मान्य होगी तथा इस अवधि को आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।
13. बोली में बोलीदाता की तरफ से लगाई गई शर्तें मान्य नहीं होंगी।
14. बोलीदाता को किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।
15. किसी भी बोली को बिना बताए अस्वीकार/निरस्त व बोली शर्तों में संशोधन करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित होगा।
16. कार्यालय द्वारा कोई गाड़ी (कॉर्टेज) या परिवहन भुगतान नहीं किया जावेगा तथा बोलीदाता को अपने स्वयं के खर्च पर वांछित स्थल पर खाने, नाश्ते एवं चाय की आपूर्ति करनी होगी।
17. बोलीदाता के लिए यह समझा जावेगा कि उसने उपलब्ध कराये जाने वाले वर्किंग लंच, नाश्ते आदि की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली हैं तथा बोलीदाता को उच्च क्वालिटी की सामग्री भोजन एवं नाश्ता में प्रयुक्त करनी होगी।
18. संविदाकार अपनी संविदा को या उसके किसी भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेगा या उसे भाड़े पर नहीं देगा।
19. कय समिति किसी भी बोली को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली नहीं है, स्वीकार करने,बिना कारण बताये किसी भी बोली को रद्द करने तथा जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिये बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक स्तर की मदों को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रहेगा।
20. राजस्थान खाद्य मिलावटी निरोधक नियम, 1957 के अन्तर्गत खाद्य अनुज्ञापत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।
21. विशेष विवरण :-
 - भोजन सामग्री की गुणवत्ता सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार कटौती की जावेगी।
 - संविदाकार/ठेकेदार को जिस दिन जिस आईटम का उपयोग नहीं किया जायेगा उस दिन का उस आईटम का भुगतान देय नहीं होगा।
 - चपाती देशी घी से चुपड़ी हुई व दाल/सब्जी शुद्ध रिफाईण्ड तेल से बनानी होगी।
 - भोजन शुद्ध एवं शाकाहारी होना चाहिए।
 - भोजन सब्जी आदि पकाने हेतु गेस चुल्हे का ही प्रयोग करना होगा। लकड़ी चुल्हा पूर्णतया अस्वीकार्य होगा।
 - भोजन पैकेट में उपलब्ध कराने का आदेश दिये जाने पर मीनू अनुसार पैकेट निर्धारित स्थल पर उपलब्ध कराना होगा।
 - सभी प्रकार के बर्तनों, भोजन एवं खाना खिलाने के स्थल की साफ सफाई की व्यवस्था बोलीदाता को करवानी होगी।
 - सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ उच्च गुणवत्ता के तथा स्वच्छ होने चाहिए।

- अनुबंध की शर्तों की पालना नहीं किए जाने पर संविदाकर्ता को ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा तथा वर्किंग लंच एवं नाश्ते हेतु दुसरे ठेकेदार से व्यवस्था करवाई जा सकेगी तथा बोली में स्वीकृत दर से अधिक भुगतान व अन्य खर्च/क्षतिपूर्ति मूल संविदाकर्ता से वसूली योग्य होगी।
- निर्धारित समय पर संविदाकार खाने, नाश्ते आदि की व्यवस्था में विफल रहता है तो संविदाकार/ठेकेदार की जोखिम एवं लागत (Risk Cost) पर व्यवस्था स्थानीय बाजार से कर ली जावेगी तथा अन्तर राशि संविदाकार/ठेकेदार से वसूली योग्य होगी।
- यदि वर्किंग लंच नहीं दी जाती है तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्ति युक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकांश किसी भी समय निरस्त (Repudiate) कर सकता है। वह इस प्रकार निरस्त करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार का अपमिश्रण पाये जाने पर अथवा खराब होने से किसी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की स्थिति में अनुमोदित बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- 22. विवाद की स्थिति में सीकर स्थित न्यायालय मान्य होगा।
- 23. निर्धारित समय पर निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री की आपूर्ति नहीं करने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जावेगी।
- 24. उपरोक्त के अलावा अन्य शर्तें राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम के अनुसार मान्य होगी।
- 25. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं समय समय पर वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना परिपत्र, आदेश प्रभावी होंगे तथा Annexure A, B, C & D की पूर्ति आवश्यक हैं।



(एस आर कटारिया)
उपनिदेशक कृषि (विस्तार)
सीकर

क्रम संख्या 1 से 25 तक शर्तें मुझे/हमें स्वीकार हैं जिसके सहमति स्वरूप बोली प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर